

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

उत्तराखण्ड राज्य की 05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' (नाम)

म0न0-37/1 विजय कालोनी रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, देहरादून....(पता)

जो भारतीय जनता पार्टी(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई है।

स्थान- हरिद्वार।

तारीख- 23 मई, 2019

रिटर्निंग आफिसर,

05-हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

रिटर्निंग आफिसर

05. हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

FORM 21 C
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election of the House of the People of UTTARAKHAND State from the 05-Haridwar Parliamentary Constituency.

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read rule 64 of the conduct of election rules, 1961.

I declare that-

Sri Ramesh Pokhriyal 'Nishank' (Name)

H.No.37/1, Vijay Colony, Rabindranath Tagore Marg Dehradun.....(Address)

Sponsored By Bharatiya Janata Party....(Name of the recognized/ registered political party)

Has been duly elected to fill the seat in that house from the above Constituency.

Place- Haridwar

Date- 23 May, 2019



Returning Officer,

05-Haridwar Parliamentary Constituency.

रिटर्निंग ऑफिसर

05 - हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र